

## योजना मंत्रालय

## मांग संख्या 74

## योजना मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	210.87	69.97	280.84	868.39	76.00	944.39	868.39	76.00	944.39	1584.20	77.03	1661.23	
पूँजी	100.01	...	100.01	731.61	...	731.61	461.61	...	461.61	515.80	...	515.80	
जोड़	310.88	69.97	380.85	1600.00	76.00	1676.00	1330.00	76.00	1406.00	2100.00	77.03	2177.03	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.31	0.31	...	0.42	0.42	...	0.42	0.42	...	0.49	0.49
2. योजना आयोग	3451	3.87	63.66	67.53	12.49	69.88	82.37	9.69	69.88	79.57	12.29	70.84	83.13
	5475	3.30	...	3.30	10.61	...	10.61	6.00	...	6.00	7.80	...	7.80
जोड़	7.17	63.66	70.83	23.10	69.88	92.98	15.69	69.88	85.57	20.09	70.84	90.93	
3. पीपीपी के माध्यम से दक्षता विकास में नई पहल	2203	0.05	...	0.05	8.41	...	8.41	6.81	...	6.81	8.00	...	8.00
4. राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण	2401	...	...	...	25.00	...	25.00	22.00	...	22.00	35.00	...	35.00
5. राज्य मानव विकास रिपोर्ट के लिए यूएनडीपी सहायता/ईएपी संघटक	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. असामानताएं दूर करने के लिए मानव विकास हेतु यूएनडीपी सहायता/ईएपी संघटक	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
7. स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
8. आयोजना लेखाकरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली	3475	3.72	...	3.72	9.51	...	9.51	19.01	...	19.01	130.00	...	130.00
	5475	0.91	...	0.91	1.00	...	1.00	5.61	...	5.61	50.00	...	50.00
जोड़	4.63	...	4.63	10.51	...	10.51	24.62	...	24.62	180.00	...	180.00	
9. जिला आयोजना/ईएपी संघटकों के लिए क्षमता विकास हेतु यूएनडीपी सहायता	3601	5.16	...	5.16	9.17	...	9.17	9.17	...	9.17	13.16	...	13.16
10. आजीविका संवर्धन कार्यनीतियों को सहायता देने के लिए यूएनडीपी सहायता/ईएपी संघटक	3601	1.32	...	1.32	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	3454	172.61	...	172.61	750.00	...	750.00	750.00	...	750.00	1300.00	...	1300.00
	4059	...	...	...	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00
	5475	95.80	...	95.80	700.00	...	700.00	440.00	...	440.00	457.00	...	457.00
जोड़	268.41	...	268.41	1470.00	...	1470.00	1200.00	...	1200.00	1758.00	...	1758.00	
12. अन्य	3475	20.48	6.00	26.48	41.81	5.70	47.51	32.10	5.70	37.80	31.25	5.70	36.95
13. लो कार्बन अर्थव्यवस्था संबंधी विशेषज्ञ दल	3475	...	...	...	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14.	जन सूचना, अवसंरचना और नवपरिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय	3451	0.89	...	0.89	7.00	...	7.00	10.00	...	10.00	24.00	...	24.00
15.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कुशलता विकास परिषद में प्रधानमंत्री के लिए सलाहकार कार्यालय	3451	...	...	...	...	...	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
16.	परिवहन नीति संबंधी विशेषज्ञ दल	3475	2.77	...	2.77	3.00	...	3.00	1.61	...	1.61	3.00	...	3.00
<b>कुल जोड़</b>			<b>310.88</b>	<b>69.97</b>	<b>380.85</b>	<b>1600.00</b>	<b>76.00</b>	<b>1676.00</b>	<b>1330.00</b>	<b>76.00</b>	<b>1406.00</b>	<b>2100.00</b>	<b>77.03</b>	<b>2177.03</b>
	<b>विकास शीर्ष</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	<b>बजट सहायता</b>	<b>आं. व. वा. सं.</b>	<b>जोड़</b>	
<b>ग. योजना परिव्यय</b>														
1.	सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	8.06	...	8.06	30.10	...	30.10	31.69	...	31.69	50.09	...	50.09
2.	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	13454	268.41	...	268.41	1470.00	...	1470.00	1200.00	...	1200.00	1758.00	...	1758.00
3.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	34.36	...	34.36	66.49	...	66.49	69.50	...	69.50	248.91	...	248.91
4.	तकनीकी शिक्षा	22203	0.05	...	0.05	8.41	...	8.41	6.81	...	6.81	8.00	...	8.00
5.	कृषि कार्य	12401	...	...	...	25.00	...	25.00	22.00	...	22.00	35.00	...	35.00
<b>जोड़</b>			<b>310.88</b>	<b>...</b>	<b>310.88</b>	<b>1600.00</b>	<b>...</b>	<b>1600.00</b>	<b>1330.00</b>	<b>...</b>	<b>1330.00</b>	<b>2100.00</b>	<b>...</b>	<b>2100.00</b>

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** केन्द्रीय योजना मंत्री और योजना राज्य मंत्री के सचिवालय व्यय का प्रावधान

7. **स्वंत्र मूल्यांकन कार्यालय:** योजनाकारों और नीति-निर्माताओं को निष्कर्षों के उपयोग और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार हेतु सक्षम बनाने के लिए पेशेवर एवं निष्पक्ष तरीके से प्रमुख कार्यक्रमों के मूल्यांकन का प्रावधान।

2. **योजना आयोग/योजना बोर्ड:** (क) इसमें कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) सहित योजना आयोग के व्यय का प्रावधान किया गया है।

8. **योजना लेखांकन तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली:** प्रत्येक योजना स्कीम के तहत व्यय, आउटपुट तथा उपयोग में न लाई गई राशि के संबंध में राज्य-वार/जिला-वार रिपोर्टों के सृजन के साथ व्यय का पता लगाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उचित एमआईएस/डीएसएस की व्यवस्था करना।

(ख) 'कार्यालय व्यवस्था के आधुनिकीकरण,' कार्यालय परिसरों का नवीकरण तथा परिवर्तन, उपकरण तथा आईटी संबंधी मदों की खरीद का प्रावधान करता है।

9. **जिला योजना के लिए क्षमता विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता:** सात राज्यों के 30 पिछड़े जिलों में जिला योजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए क्षमता विकास हेतु प्रावधान है।

(ग) प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद हेतु स्थापना संबंधी व्यय का प्रावधान।

3. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल विकास में नई पहल:** विकासशील और विविधीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने के लिए आवश्यक दक्ष जनसंसाधन का सृजन करना।

11. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण:** विशिष्ट पहचान के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना जैसाकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपा गया है।

4. **राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण:** राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए स्थापना व्यय का प्रावधान है।

12. **अन्य:** (क) आईएमआर को अवसंरचना सुदृढ़ करने और अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है।

6. **असमानताओं को पाटने की दिशा में मानव विकास हेतु यूएनडीपी से सहायता:** असमानताएं दूर करने के लक्ष्य पर आधारित मानव विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता हेतु प्रावधान

(ख) प्रशिक्षण, शोध एवं संस्थागत विकास इत्यादि के लिए विश्विद्यालयों एवं शोध संस्थानों को अनुदान सहायता हेतु प्रावधान है।

(ग) 'योजना प्रक्रिया सुविजता' - स्कीम के तहत व्यावसायिक सेवाओं हेतु भुगतान।

(घ) योजना निर्माण, मूल्यांकन एवं समीक्षा - राष्ट्र के विकास को प्रतिबिम्बित करने वाले सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए समग्र डेटा बैंक बनाने तथा राज्य विकास रिपोर्टें इत्यादि तैयार करने हेतु प्रावधान है।

(ङ.) योजना निर्माताओं/नीति निर्माताओं के लिए त्वरित और उपयोगी मूल्यांकन सूचनाओं को प्रदान करने के लिए सरकारी तंत्र में मूल्यांकन क्षमता को सुदृढ़ करना और विकास मूल्यांकन पर डाटा बेस तैयार करना।

(च) वित्तीय अवसंरचना पर उच्चस्तरीय समिति हेतु व्यय का प्रावधान है।

(छ) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए पश्चिमी घाट सचिवालय हेतु प्रावधान है।

13. **न्यून कार्बन व्यवस्था पर विशेषज्ञ समूह:** न्यून कार्बन व्यवस्था पर विशेषज्ञ समूह हेतु व्यय का प्रावधान किया गया है।

14. **कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद हेतु प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय:** राज्य स्तरीय विभिन्नताओं सहित राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास हेतु रणनीति विकसित करने, कौशल विकास के क्षेत्र में अंतर के आकलन और कौशल की कमी से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने हेतु प्रावधान।

16. **परिवहन नीति पर विशेषज्ञ समूह:** परिवहन नीति पर विशेषज्ञ समूह के व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।